

राजस्थान सरकार  
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांक:प.11(47)विजा/राम/2023/ 1982

दिनांक:- 16-09-23

-: आदेश :-

श्री शैतान सिंह, कार्यव्यवस्थार्थ तहसीलदार कलेक्ट्रेट, बालोतरा जिला बालोतरा (स्थानान्तरणाधीन) को राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-13 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।

निलम्बनकाल में श्री शैतान सिंह, कार्यव्यवस्थार्थ तहसीलदार कलेक्ट्रेट, बालोतरा जिला बालोतरा का मुख्यालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर निर्धारित किया जाता है।

निलम्बनकाल में श्री शैतान सिंह को नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।

अध्यक्ष राजस्व मण्डल के  
आदेशानुसार

निबन्धक  
राजस्व मण्डल राजस्थान  
अजमेर

क्रमांक:सम/ 1983-87

दिनांक 16-09-23

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. जिला कलेक्टर, बालोतरा को प्रेषित कर लेख है कि श्री शैतान सिंह, कार्यव्यवस्थार्थ तहसीलदार कलेक्ट्रेट, बालोतरा जिला बालोतरा को उक्त निलम्बन आदेश तामील करवाते हुए अविलम्ब श्री शैतान सिंह, कार्यव्यवस्थार्थ तहसीलदार को अपनी उपस्थिति राजस्व मण्डल, अजमेर में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करने का श्रम करावें।
2. उप निबन्धक (रातस), राजस्व मण्डल, अजमेर।
3. संयुक्त निदेशक (बिल्स), राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
4. श्री शैतान सिंह, कार्यव्यवस्थार्थ तहसीलदार कलेक्ट्रेट, बालोतरा जिला बालोतरा (निलम्बित) मुख्यालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर मार्फत जिला कलेक्टर, बालोतरा।
5. आदेश पंजिका।

निबन्धक  
राजस्व मण्डल राजस्थान  
अजमेर

Signature valid

Digitally signed by Priva Bhargava  
Designation: Additional Registrar  
Date: 2023.09.16/2023.13:42 IST  
Reason: Approver

